

सत्र 2012-13 में उच्च शिक्षा से एन.ओ.सी. प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय की सूची

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | पाठ्यक्रम | निरीक्षण समिति |
|------|---|---|---|
| 1. | कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज, दतिया | बी.एससी. प्रथम वर्ष | प्रो. महेश प्रकाश प्रो. सी.पी. शिन्दे प्रो. पी.के. तिवारी |
| 2. | प्रेस्टीज इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खालियर | बी.कॉम-प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अति.वि.) द्वितीय | प्रो. उमेश होलानी डॉ. योगेश उपाध्याय |
| 3. | ऋषिकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज, खालियर | बी.बी.ए. द्वितीय, बी.सी.ए. द्वितीय, बी.एससी. बायो ग्रुप एवं अति. वि. माइक्रोबायोलॉजी -द्वितीय | प्रो. वाय.के. जायसवाल प्रो. महेश प्रकाश डॉ. राजेन्द्र खटीक डॉ. एस.के. गुप्ता |
| 4. | महाराणा प्रताप महाविद्यालय, गुलाहरई, सबलगढ़, मुरैना | बी.कॉम-प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन -अति.वि., बी.सी.ए., बी.बी.ए. प्रथम | प्रो. ए.पी.एस. चौहान प्रो. सी.पी. शिन्दे डॉ. एस.के. सिंह डॉ. एस.के. गुप्ता |
| 5. | श्रीमंत विजयराजे सिंधिया महाविद्यालय, अडोखर, जिला - भिण्ड | बी.ए. सैन्य विज्ञान (अति.वि.), एम.ए. पूर्वार्ध पूर्वार्ध हिन्दी, संस्कृत एवं भूगोल प्रथम वर्ष | डॉ. आई.बी. सिंह डॉ. आर.एस. पवार डॉ. राजरानी शर्मा, के.आर.जी डॉ. सविता रस्तोगी, एम.एल.बी. |

(Handwritten signature)

आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्तानुसार गटित समितियां परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क घोरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ, वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर, पाठ्यक्रम, अध्यादेश तथा विगत सत्र में लगाई गई शर्तों की पूर्ति आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करेंगी।
2. स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून 2012 से पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के निर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एक माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर आपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।
3. वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।
4. निरीक्षण समितियों के लिए यात्रा व्यय एवं मानदेय सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा ही देय होगा।

Inspections should be completed within 03 days.


कुलसचिव

*Part of the file
submitted
Done
12/6/2012*